सं०स०–11 / आ0प्र0(विविध)–01 / 2024–348(11)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक– 30 /04/2025

विषयः– वर्ष–2025 के संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के तैयारियों हेतु अनुदेश।

प्रसंगः– अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–1292 / आ०प्र०, / दिनांक–09.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत है कि राज्य मे हर वर्ष मानसून अवधि के दौरान कई जिलों को बाढ की विभीषिका का सामना करना पडता है। राज्य के बाढ प्रवण जिलो मे 15 जिले अति बाढ प्रवण जिलो की श्रेणी मे आते है साथ ही कई अन्य जिले भी बाढ से प्रभावित होती है। इन अति बाढ प्रवण जिलों एवं बाढ प्रभावित जिलो में बाढ से जान–माल की क्षति के अलावे कई तरह की जल जनित बीमारियॉ भी फैलती है जो महामारी का रूप ले सकती है। इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाये जिससे कि बीमारियो का फैलाव नही हो एव यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियत्रण किया जा सके।

2. बाढ एव उससे उत्पन्न जल जनित बीमारियो की समस्या से निपटने हेतु बाढ प्रवण जिलो के साथ–साथ गैर बाढ प्रवण जिलो मे भी बाढ आपदा से निपटने की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ आपदा तैयारी के अपेक्षित बिन्दु निम्नांकित है :–

(क) <u>सामान्यः–</u>

1. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता मे एक महामारी रोक–थाम समिति गठित है, जिसमे उप विकास आयुक्त / आरक्षी अधीक्षक / सिविल सर्जन / आपूर्ति विभाग / जिला आपदा प्रबधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य है।

2 यह समिति अपने जिले मे बाढ / जल–जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियो के संभावित क्षेत्रो का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेगी एव वहॉ पर त्वरित तरीके से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करेगी तथा इसके लिए प्रचार–प्रसार के माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी।

(ख) <u>बाढ पूर्व तैयारियों का अभ्यास :–</u>

बाढ तैयारी के संबध मे स्वास्थ्य कर्मियो / गैर सरकारी सगठनो के साथ Mock Exercise/ Mock drill का आयोजन नियमित अतराल पर किया जाय।

(ग) निरोधात्मक :–

शुद्व पेयजल आपूर्तिः–

1. ऐसे सभी पेयजल श्रोतो की पहचान मॉनसून पूर्व (माह मई–जून) में कर ली जाय जिसे जनसाधरण व्यवहार मे लाते हो। इस हेतु लोक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग के पदाधिकारी/ कर्मी की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

2 पेयजल श्रोत बाढ के पानी/जल–जमाव से प्रभावित होते हैं, अत उस क्षेत्र के पीने के पानी का शुद्धिकरण, छोटे श्रोतो के लिए क्लोरीन टिकिया (हैलोजेन टिकिया) एव बडे श्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से किया जाए।

3 विगत वर्षो के अनुभव से बाढ के पश्चात् जल–जमाव की स्थिति मे मच्छरो के प्रकोप बढने से डेगू/मलेरिया/ कालाजार इत्यादि महामारी का फैलाव बहुत तेजी से होती है। जिससे काफी सख्या मे जनसमूह के अक्रान्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति मे जिला मलेरिया पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रभावित क्षेत्रो में डी0डी0टी0 का छिडकाव एव.फॉगिग कार्य सुनिश्चित करायेगे तथा सबधित कर्मियो को प्रभावित क्षेत्रो मे सतत् निगरानी हेतु तैनात रखेगे।

4 जिला/प्रखड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवता बनाए रखने के लिए पानी के नमूनो का संग्रह करेगे तथा उसकी जॉच सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रमण्डलीय प्रयोगशाला/चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य सस्थान, पटना मे करायेंगे।

5. पेयजल सकट से निबटने हेतु आपदा प्रबधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"पेय जलसंकट हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** मे वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जा सकेगा। जो आपदा प्रबधन विभाग बिहार पटना के वेवसाईट–www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) चिकित्सा दलों का गठन :–

1. जिला स्तर/प्रखड स्तर पर बाढ प्रभावित क्षेत्रो में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा दलो का (चलन्त/स्थायी/अस्थायी) गठन होगा जिसमे चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/परिचारिका/पारा मेडिकल एव अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहेगे जो सिविल सर्जन के द्वारा नामित किए जायेगे तथा चिकित्सा दल को प्रभावित क्षेत्रो मे आवश्यकता के आधार पर सिविल सर्जन द्वारा भेजें जायेगे।

2 बाढ के पश्चात प्रभावित क्षेत्रो मे जल–जनित रोग से काफी जनसख्या ग्रसित होती है जिसमे अतिसार से ग्रसित व्यक्तियो के समय पर उपचार न होने से मृत्यु भी हो जाती है। प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनसाधारण को यह अवगत कराया जाय कि वे प्रभावित क्षेत्रो की सूचना, चौकीदार/पंचायत के सदस्य/स्वास्थ्यकर्मी/सिविल सर्जन/स्थानीय थाना/आरक्षी अधीक्षक/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगे। सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरत प्रभावित स्थल पर भेजेगे एव महामारी नियत्रण करेगे।

(च) <u>दवाओं की उपलब्धता</u> :–

1. विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर बाढ/महामारी से निपटने हेतु जिला से प्रखड स्तर तक दवाओ की उपलब्धता का आकलन कर तैयारी सुनिश्चित कर ली जाय।

2. बाढ प्रभावित क्षेत्रो मे जल जनित बीमारियो यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एव एन्टीडायरियल संबधित आवश्यक दवाओ की पर्याप्त मात्रा मे व्यवस्था कर ले इन दवाओ के अतिरिक्त ब्लीचिग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0 (ASVS) एव ए0आर0भी0 (ARV) का भडारण सुनिश्चित कर लेगे। ये सभी Essential Drugs मे शामिल है। इन सभी दवाओ के लिए ससमय अधियाचना BMSICL, जो दवा क्रय हेतु नोडल एजेसी है, को भेज दी जाए और जिन दवाओ की आपूर्ति BMSICL द्वारा नहीं की जा सकती हो, उन्हे स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भंडारित करना सुनिश्चित करे। बाढ के पूर्व आवश्यक दवाओ की मात्राओ का आकलन करते हुए दवाओ का क्रय दवा ईकाई मद/NHM की निधि मे उपलब्ध आवटन से करेगे। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालो सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

3. बाढ के समय/बाढ के पश्चात कुत्ता एव सियार काटने की घटनाये होती रहती है। यह अनुभव रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुत्ता/सियार काटने की उपचारात्मक दवा उपलब्ध नही रहने/कमी के कारण कठिनाई होती है। अतः एन्टीरेबीज दवा भी नियमानुसार, आवश्यकता का आकलन कर भडारण कर ली जाय।

(छ) <u>उपचारात्मकः–</u>

1. सर्पदश से आक्रान्तो की मृत्यु समय से उपचार न होने पर हो सकती है। जल–जमाव/बाढ ग्रसित क्षेत्रो मे जमीन के छिद्र मे पानी प्रवेश कर जाने से सॉप बाहर आ जाते है जिससे सर्पदश की घटनाएँ बढ जाती है, इसलिए सुनिश्चित कर ले कि सभी अस्पतालों मे ए0एस0भी0एस0 की दवा पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध रहें। लेकिन सभी सर्पदंश घातक नही होते है, अत· चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्पदश की दवाईयो का उपयोग वे आवश्यकतानुसार करेगे।

2. नवजात शिशुओ के लिए नियमित टीकाकरण भी बाधित नही हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगे एव गर्भवती महिलाओ की पहचान पूर्व से ही कर ली जाय एव इसके लिए डिलिवरी कीट एवं मैटरनिटी हट की व्यवस्था पूर्व मे ही कर लेंगे।

3. पूर्व के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा कुपोषण केन्द्र, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सेनेटरी किट इत्यादि के सम्बन्ध मे भी विशेष रूप से योजना बना लिया जाय।

(ज) <u>अस्थाई अस्पताल एवं नौका औषधालय की व्यवस्थाः–</u>

1. जिन क्षेत्रो मे महामारी फैल गई है और प्रभावितों की सख्या ज्यादा है, वहॉ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वा0 उप केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि मे अस्थायी अस्पताल खोला जायेगा। वहॉ पर यह अस्थायी अस्पताल तबतक चलते रहेगे जबतक महामारी पर नियत्रण नही हो जाता है और वहॉ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत रहेगे ।

2. उन क्षेत्रों मे जहॉ पर गॉव/कस्बा, जल जमाव या बाढ से घिर जाते है, सडक सम्पर्क टूट जाता है, उन प्रभावित क्षेत्रो मे जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नौका पर औषधालय खोला जायेगा और यह प्रभावित क्षेत्रो मे भ्रमण करेगा। नौका पर औषधालय जिसमे चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0 और पारा मेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त होगे तथा पर्याप्त मात्रा मे आवश्यक दवा एव सामग्री की व्यवस्था रहेगी, जिसे सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। दवा और सामग्री की कमी होने पर एक दिन पहले नौका औषधालय के चिकित्सा पदाधिकारी दवा और सामग्री की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्राप्त कर लेगे। सबधित जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि नौका पर औषधालय हेतु नाव एव नाविक उपलब्ध करायेगे।

(झ) <u>प्रशासनिक व्यवस्थाः–</u>

1. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतो से महामारी के सबध मे सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओ पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।

2. महामारी की रोकथाम तथा बाढ से प्रभावित व्यक्तियो के उपचार आदि के लिये जिलाधिकारी/सिविल सर्जन किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी को अप्रभावित जगहो से हटा कर प्रभावित जगहो पर महामारी की रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त करेगे। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मी तबतक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेगे जबतक कि महामारी पर नियत्रण नहीं कर लिया जाता है।

3. बाढ प्रभावित क्षेत्रो मे पदस्थापित एव कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को बाढ के समय अवकाश देय नही होगा, यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त करेगे। बाढ के समय मे कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जाएगा एव उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

4. जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि महामारी की रोक–थाम एव नियत्रण करने मे यदि अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक तथा पारा मेडिकल एव स्वास्थ्य कर्मी की सेवाएँ अधीक्षक/प्राचार्य से प्राप्त कर सकते है और वे महामारी खत्म होने तक सिविल सर्जन के अधीन प्रतिनियुक्त माने जायेगे।

5. चिकित्सा संस्थान/सभी चिकित्सा महाविधालय एव अस्पताल मे चलन्त पैथोलॉजिकल दल गठित की जायगी जो निकटवर्ती जिलो मे बाढ के समय महामारी उद्भेदन के स्थिति मे आवश्यक कार्रवाई करेगी। विशेष परिस्थिति मे राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसधान विज्ञान सस्थान, (RMRIMS) अगमकुऑ, पटना से भी संबधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाये रखेगे।

6. पूर्व के अनुभव के आधार पर दवाओ एव उपकरणो को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेगे, जिससे क्षति से बचा जा सके।

(ट) अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणः–

1. क्षेत्रीय अपर निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामारी के समय मे प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबधी किए जा रहे कार्यो का निरीक्षण एव समीक्षा करते रहेगे और इसके नियंत्रण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेगे।

2. प्रत्येक जिला मे बाढ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक बाढ नियत्रण अनुश्रवण कोषाग का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी बाढ की अवधि तक अनुश्रवण कोषाग का गठन होगा, जिसमे प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एव कर्मचारी पाली के अनुसार कार्यरत रहेगे।

3. महामारी/बीमारी से प्रभावितों की सख्या/ कुल मृतको की सख्या एवं दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य निदेशालय/राज्य स्वास्थ्य समिति को दूरभाष/ ई–मेल/फैक्स से ससूचित किया जाएगा। जल जमाव/बाढ के समय होने वाले बीमारियो के बारे मे इस निर्देशिका के साथ सलग्न प्रपत्र फार्म–'ए', फार्म–'बी' एव–फार्म 'सी' में वर्णित विवरणी के अनुसार सकलन कर प्रतिवेदन अनुश्रवण कोषाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को भेजना सुनिश्चित करेगे साथ ही दैनिक अद्यतन स्थिति की सूचना उपरोक्त को ई–मेल *ssosbihar@gmail.com* पर भेजना सूनिश्चित करेगे।

4. बाढ के समय स्वास्थ्य विभाग से सबधित अस्पताल भवन/उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते है। इस सदर्भ में सम्बंधित सिविल सर्जन की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इसकी समीक्षोपरांत आकलन करायेगे कि भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कितनी क्षति हुई एव उसके जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। साथ ही सिविल सर्जन सम्बधित कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमंडल से प्राक्कलन बनवाकर विभाग को भेजेगे। सुलभ प्रसग हेतु आपदा प्रबधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** मे वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जाएगा। यह आपदा प्रबधन विभाग बिहार पटना के बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ठ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्तर पर :–

1 किसी भी तरह की सूचना या मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना मे स्थापित राज्य नियत्रण कक्ष के **टौल फ्री दूरभाष संख्या–'104'** से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा ई–मेल आई0डी0 **ssobihar@gmail.com** पर सूचना भेजी जा सकती है।

2 राज्य IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार /राज्य के जिलो से महामारी के समय मे प्रभावितो/मृतको की सख्या/दवा एव सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेगे एव जिलो से सतत् सम्पर्क एव समन्वय बनाए रखेगे साथ ही विभाग स्तर पर अवस्थित आपदा प्रबधन कोषाग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगे। इस कोषाग का दायित्व होगा कि

प्राप्त प्रतिवेदन से अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एव अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबधन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन सर्मपित करेगे।

3 निदेशक प्रमुख (रोग नियत्रण) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार वे सभी निर्णय लेगे, जो बाढ से उत्पन्न महामारी के रोक–थाम के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापाक–11/आ०प्र०(विविध)–01/2024–348.(11)/स्वा0,पटना, दिनाक– 30.04.2025

प्रतिलिपिः– सचिव, आपदा प्रबधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबध निदेशक, BMSICL पटना को सूचनार्थ एव कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक,राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान (RMRIMS) अगमकुआँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भडार, गुलजारबाग, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य /अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (मलेरिया/कालाजार) बिहार, पटना को सूचनार्थ एव कार्या थप्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग के वेवसाईट पर निर्गत अनुदेश अपलोड करने एव सबधित कोई–मेल द्वारा प्रेषण करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापाक–348(11) पटना, दिनाक : 30.04.2025

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबधन प्राधिकरण, पत भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

अति० OSD (श्री प्र०शा०)

11 APR 2025

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक सी, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना–800023

दूरभाष. 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई मेल secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–02 / प्रा0आ0(बाढ़)–07 / 2025 / 1292 / आ0प्र0, पटना–23 दिनांक–09-04-25

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
स्वास्थ्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / पशु एव मत्स्य ससाधन विभाग /
गृह विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग /
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग /
कृषि विभाग / परिवहन विभाग / पचायती राज्य विभाग /
नगर विकास एवं आवास विभाग / ऊर्जा विभाग / भवन निर्माण विभाग /
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना
निदेशक, सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

2336(4G) 15/4/2025

विषयः– **संभावित बाढ़, 2025 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि प्रायः प्रत्येक वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य के कई जिले बाढ से प्रभावित होते है। राज्य में 29 बाढ़ प्रवण जिलों में से 15 जिले अति बाढ प्रवण जिला की श्रेणी में आते है। कई अन्य जिले भी बाढ़ से प्रभावित होते रहते है, जो बाढ़ प्रवण जिला के रूप मे चिन्हित नही हैं। इन जिलो में बाढ आने का मुख्य कारण स्थानीय नदियो यथा–पुनपुन, फल्गू, कर्मनाशा एवं सोन नदी के जलस्तर का बढ जाना है। अतएव बाढ़ प्रवण जिले के साथ–साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ पूर्व तैयारी किये जाने की आवश्यकता है ताकि बाढ़ से लोगों को ससमय राहत पहुँचाया जा सके एव होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

STC-612(II) 15/4/25

अतएव अनुरोध है कि सभावित बाढ, 2025 को देखते हुए बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के अनुरूप अपने विभाग से संबंधित पूर्व तैयारियाँ कर ली जाय।

विश्वासभाजन,

अपर मुख्य सचिव